फा.सं.ई-शासन/3/2024-ई-समन्वय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली-110001
तारीख: 16.04.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में मार्च, 2024 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्च, 2024 माह के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

<u>भारत सरकार</u>
<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का मार्च, 2024 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

मार्च, 2024 के अंत में, लोक सभा के 660 और राज्य सभा के 661 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, सरकारी आश्वासन समिति, लोक सभा के कहने पर 27 आश्वासन जोड़े गए, जबकि सरकारी आश्वासन समिति, राज्य सभा के कहने पर 20 आश्वासन जोड़े गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

मार्च, 2024 के दौरान, 03 संसद सदस्यों के नाम उनकी मृत्यु/इस्तीफा/सेवानिवृत्ति के पश्चात परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए। विवरण <u>अनुबंध– I</u> में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.03.2024 को लंबित मामले	449	159
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल मामले	449	159
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	078	032
माह के अंत में लंबित मामले	**371**	**127**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

ख. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का परिणाम 18 मार्च, 2024 को घोषित किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है।

ग. मार्च, 2024 माह में, कुल 176 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है। 46 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है।

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति**

दिनांक 22.03.2024 को अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

मार्च, 2024 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

(1) सिक्किम और नागालैंड विधान सभा की नेवा परियोजना की लेखापरीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सिक्किम और नागालैंड विधान सभाओं में नेवा परियोजना की लेखापरीक्षा की गई। सिक्किम विधान सभा में 4 से 7 मार्च, 2024 तक और नागालैंड विधान सभा में 7 से 9 मार्च 2024 तक यह लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

(2) असम विधान सभा में नेवा पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

असम विधान सभा ने 22.02.2024 को नेवा को अपनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और नेवा को अपनाकर खुद को डिजिटल सदन में परिवर्तित करने वाली यह देश की 23वीं विधान सभा बन गई। तदनुसार, सचिवालय के अधिकारियों के लिए 18 और 19 मार्च, 2024 को असम विधान सभा में नेवा पर 2 दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(3) नेवा के माध्यम से आयोजित लाइव सत्र

माह के दौरान, नेवा एप्लिकेशन के माध्यम से निम्नलिखित सत्र आयोजित किए गए:-

1. त्रिपुरा विधान सभा का बजट सत्र 1 मार्च, 2024 से 5 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया।
2. पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 1 मार्च, 2024 से 15 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया।

(4) राज्य सभा में नेवा पोर्टल का प्रदर्शन

राज्य सभा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति ने राज्य सभा सचिवालय को राज्य सभा के भीतर उपयोग हेतु एप्लिकेशन की उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय से नेवा के विभिन्न मॉड्यूल के प्रदर्शन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। तदनुसार, 7 मार्च, 2024 को नेवा का प्रदर्शन किया गया।

(5) बिहार विधान सभा हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला

11 मार्च से 13 मार्च, 2024 तक सीपीएमयू, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में बिहार विधान सभा के अधिकारियों के लिए नेवा के विभिन्न मॉड्यूल पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(6) विधानमंडलों के लिए धनराशि जारी करना

1. नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मणिपुर विधान सभा को केंद्रीय हिस्सेदारी की **1,72,42,389/- रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख बयालीस हजार तीन सौ अस्सी नौ रुपये मात्र)** की तीसरी किस्त 26.03.2024 को जारी की गई।

(7) नेवा पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस

1. नेवा टीम ने नेवा वेबसाइट के रियल टाइम वॉयस-टू-टेक्स्ट बहुभाषी अनुवाद, रियल टाइम वॉयस टू वॉयस बहुभाषी अनुवाद, व्यापक बहुभाषी अनुवाद की सुविधा हेतु नेवा एप्लिकेशन पर एपीआई के एकीकरण की समीक्षा करने के लिए भाषिणी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीईओ के साथ 26.03.2024 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

(8) अभिगम्यता में वृद्धि करना: - नेवा सार्वजनिक पोर्टल का बहुभाषी पाठ अनुवाद एकीकरण

1. नेवा सार्वजनिक पोर्टल पर 23 भाषाओं में पाठ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराना नेवा परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह वृद्धि विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले हितधारकों के लिए अभिगम्यता में सुधार करती है, जिससे सूचना तक पहुंच में एक प्रमुख बाधा का समाधान होता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा दक्षता की चिंता किए बिना सभी हितधारक लाभान्वित हो सकें, यह समावेशिता के प्रति परियोजना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संचार अंतराल को कम करने और शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति परियोजना के समर्पण को भी दर्शाता है।

(9) विधान सभाओं को नेवा पर सत्र संचालन हेतु प्रदत्त तकनीकी सहायता

क. पंजाब विधान सभा में नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 मार्च से 15 मार्च, 2024 तक सीपीएमयू की एक टीम विधान सभा में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैनात की गई।

ख. त्रिपुरा विधान सभा में नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 मार्च से 5 मार्च, 2024 तक सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम ऑनलाइन तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले
-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या
-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।
-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)
- गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और उनका अनुवीक्षण किया जा रहा है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति
- इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी
- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

- वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है
-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।
-शून्य-

अनुबंध–I

उन सांसदों का विवरण जिनके नाम उनकी मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के कारण परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत थे**	**कारण**
1.	श्री सुशील कुमार गुप्ता, सांसद (रा.स)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	27.01.2024 को राज्य सभा में कार्यकाल समाप्त (पत्र 12.03.2024 को जारी किया गया)
2.	श्री प्रफुल पटेल, सांसद (रा.स)	संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में)	27.02.2024 को राज्य सभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा
3.	श्री शफीकुर्रहमान बर्क, सांसद (लो.स)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	27.02.2024 को निधन